(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
PART I - Section 1)

MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE

RESOLUTION

New Delhi, the 16th Feb. 1985
MAGHA 27, 1906.

No.5(56)-E.III/83. The Government of India have decided that the Terms of Reference of the Fourth Central Pay Commission as contained in this Ministry's Resolution of even number dated the 20th July, 1983 shall be amended by addition of a new sub-para (5) under para 2 of the Resolution as under:-

"(5) In case the need for consideration of relief of an interim character arises during the course of deliberations of the Commission, the Commission may consider the demand for relief of interim character and make its recommendations thereon taking into account the interim relief already sanctioned by the Government in the Ministry of Finance(Department of Expenditure)'s O.M.No.7(39)/E.III/83 dated the 2nd August, 1983. In the event of the Commission recommending any interim relief, the date from which this relief should take effect may also be indicated by the Commission."

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered a so that a copy of the Resolution be communicated to the Fourth Central Pay Commission, Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administrations of Union Territories and all others concerned.

(S. Venkitaramanan)
Secretary to the Government of India

§ भारत के असाधारण राजपत्र के भाग । खण्ड ।, में प्रकाशनार्थ §

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1985
27 माघ, 1906

संकल्प

सं05§76§संस्था0111/83. भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस मंत्रालय के दिनांक 29 जुलाई, 1983 के समसंख्यक संकल्प में दिए गए चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में उक्त संकल्प के पैरा 2 के अंतर्गत एक नया उप-पैरा §5§ जोड़कर निम्नप्रकार संशोधन किया जाएगा :—

§5§ यदि आयोग के विचार विमर्श की अवधि के दौरान अन्तरिम प्रकार की राहत पर विचार किए जाने की आवश्यकता पड़े तो आयोग अन्तरिम प्रकार के राहत की मांग पर विचार कर सकता है और वित्त मंत्रालय §व्यय विभाग§ के दिनांक 2 अगस्त, 1983 के का0 ज्ञा0सं0 7, 39§/संस्था0§11/83 में सरकार द्वारा पहले से स्वीकृत की गयी अन्तरिम राहत को ध्यान में रखते हुए उस पर अपनी सिफारिशें कर सकता है। आयोग द्वारा किसी प्रकार की अन्तरिम सहायता की सिफारिश किए जाते समय, आयोग द्वारा उस तारीख का भी उल्लेख कर दिया जाए जिस तारीख से यह राहत दी जानी है।"

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

यह भी उपदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों और अन्य सभी सम्बन्धितों को भेज दी जाए।

एस वेंकटरमणन
§ एस0 वेंकटरमणन् §
सचिव, भारत सरकार